

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज          प्रेमराम सुथार बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p><b>सू.अ.अ. अपील संख्या 02 / 2020</b></p>	<p>नं० व तारीख          अहकाम जो इस          हुकम की तामील          में जारी हुए</p>
<p>27.01.20</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेमराम सुथार पता 121, मेन रोड़ आंगणवा, पोस्ट सुरपुरा, मण्डोर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 20.11.2019 में उसके द्वारा (1) भू अवाप्ति अधिकारी एडीएम तृतीय जोधपुर में जारी किया गया ग्राम मण्डोर में नेशनल हाई वे नम्बर 65 व 62 का भूमि अवाप्ति की गई उसके संबंध में जो नक्शा तहसीलदार जोधपुर द्वारा बनाया गया जिसके आधार पर खातेदारों को भुगतान किया गया नक्शे की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	